



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-28022026-270541
CG-TL-E-28022026-270541

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 996]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 996]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1040(अ).— जहाँकि भारत सरकार, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा अधिसूचना संख्या S.O. 5296(E), दिनांक 19.11.2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, धारा 3, उप-धारा (ii), राजपत्र अंक 5125, दिनांक 20.11.2025 में प्रकाशित हुई (जिसे आगे "उक्त अधिसूचना" कहा गया है), रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई थी, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर ज़िले के दो ग्रामों में कोंडापल्ली एवं रायनापाडु स्टेशनों के बीच कि.मी. 573/17-19 पर स्थित समपार संख्या 147 के स्थान पर सड़क ऊपरी सेतु (आरओबी) के निर्माण के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी मंशा घोषित की थी।

और जहाँकि उक्त अधिसूचना का एक अंश, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20A की उप-धारा (1) के अंतर्गत, उप मुख्य अभियंता/निर्माण (सड़क सुरक्षा परियोजनाएँ), सिकंदराबाद की स्वीकृति से, दिनांक 25 नवम्बर, 2025 को दैनिक समाचार-पत्रों "Sakshi", "Andhra Jyothy" तथा "Deccan Chronicle" में प्रकाशित किया गया था।

और जबकि, नियत समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

और जबकि, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) के अनुपालन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है।

अतः अब, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार यह घोषित करती है कि अनुसूची में उल्लिखित भूमि उक्त प्रयोजन हेतु अधिग्रहीत की जाती है।

तत्पश्चात्, इस अधिनियम की धारा 20E की उप-धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद् द्वारा यह घोषित करती है कि आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन पर, इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि केंद्र सरकार में पूर्णतः निहित हो जाएगी तथा वह सभी प्रकार के भारों से मुक्त होगी।

अनुसूची

अधिग्रहण में भूमियों का विवरण: आंध्र प्रदेश राज्य के एनटीआर ज़िले के अधिकार क्षेत्र में स्थित दो ग्रामों में, कोंडापल्ली एवं रायनापाडु स्टेशनों के बीच कि.मी.573/17-19 पर स्थित समपार संख्या 147 के स्थान पर सड़क ऊपरी पुल के निर्माण हेतु, संबंधित रेलवे परियोजना में संरचनाओं सहित अथवा बिना संरचनाओं के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

ग्राम: गुंटुपल्ली		मंडल: इब्राहीमपट्टनम				जिला: एनटीआर	
अनुसूची							
क्रम संख्या	सर्वेक्षण सं.	भूमि का वर्गीकरण	एस. डी. आर. के अनुसार सर्वेक्षण संख्या	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्रफल		भूमि स्वामी का नाम	संरचनाएँ वृक्ष / (यदि कोई हों)
				एकड़	हेक्टेयर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	66	GD	66/2	0.46	0.19	मस्जिद सेवा	धान की खेती
2	77	GD	77/1	0.59	0.2385	मस्जिद सेवा	धान की खेती
3	65	GP	65/2	0.44	0.18	द.म. रेलवे	
4	67	GP	67/2	0.72	0.29	गाड़ी मार्ग	
5	69	GP	69/2	0.12	0.05	गाड़ी मार्ग	
6	84	GP	84/2	0.445	0.18	द.म. रेलवे	
7	85	GP	85/2	1.10	0.4450	द.म. रेलवे	
8	88	GP	88/2	1.82	0.7365	द.म. रेलवे	
9	89	GP	89/2	0.10	0.04	जगमंदुरु कालुवा	
10	92	GP	92/1	0.16	0.06	जगमंदुरु कालुवा	
सूखी भूमि				1.05	0.425		
सरकारी भूमि				4.905	1.984		
Total				5.955	2.409		

ग्राम: एलाप्रोलू		मंडल: इब्राहीमपट्टनम				जिला: एनटीआर	
अनुसूची							
क्रम संख्या	सर्वेक्षण सं.	भूमि का वर्गीकरण (Govt/Pvt)	एस. डी. आर. के अनुसार सर्वेक्षण संख्या	अधिग्रहण के अंतर्गत क्षेत्रफल		भूमि स्वामी का नाम	संरचनाएँ वृक्ष / (यदि कोई हों)
				एकड़	हेक्टेयर		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	229/2	GD	229/2B	0.01	0.004	कोल्ली मल्लिखार्जुन सुब्बाराव S/o मूर्तेय्या	शून्य
	229/2 काल्पनिक उपविभाग 229/2-A						
	229/2	GD		0.01	0.004	ज़मीनी सड़क पर	शून्य
2	229/4	GD	229/4B	0.045	0.018	मकान और मकान स्थल	आवासीय घर का बाथरूम - 2, 3 - अमरूद के पेड़, 1 - पानी सेब के पेड़, 8 - केले के पेड़
				0.010	0.004	ज़मीनी सड़क पर	शून्य
3	246/5	GD	246/5A	0.26	0.105	मकान और मकान स्थल	शून्य
				0.22	0.089	ज़मीनी सड़क पर	शून्य
Total				0.555	0.224		

[फा. सं. RSP/Gazette/20E/LC.No.147/KI-BZA/BZA]

मनोज कुमार, सीई / सी / आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 23rd February, 2026

S.O. 1040(E).—whereas, by the notification by Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number S.O.No. 5296(E). Dated 19.11.2025 Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II Section 3 Sub section (ii), Gazette Issue No: 5125, dated. 20.11.2025 (herein after referred to as said notification) and issued under sub section (1) of section 20(A) of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose construction of the Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing (LC) No. 147 at Km.573/17-19 between Kondapalli and Rayanapadu Stations in 02 villages in NTR District in the state of Andra Pradesh.

And whereas an extract of this notification was published in the daily newspapers "Sakshi", "Andhra Jyothy" and "Deccan Chronicle" on 25th November, 2025 with the approval of the Deputy Chief Engineer/Construction Road Safety Projects, Secunderabad, under sub-section (1); Section 20A of this Act.

And whereas, any objection has not been filed within the stipulated time limit.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of 20 (E) of this Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, on receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20(E) of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands mentioned in the Schedule have been annexed. To be obtained here for the purpose mentioned.

Further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of this Act, the Central Government hereby declares on publication of notification in the Official Gazette. That the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Description of Lands in Acquisition: Construction of the Road Over Bridge (ROB) in lieu of Level Crossing (LC) No. 147 at Km.573/17-19 between Kondapalli and Rayanapadu Stations in 02 villages in NTR District in the state of Andhra Pradesh jurisdiction. Brief description of land to be acquired with or without structures in a particular railway project.

Village: Guntupalli		Mandal: Ibrahimpatnam		District: NTR			
SCHEDULE							
S.No	Survey No.	Classification of the Land	Survey Number as per SDR	Area under Acquisition		Name of the Land Owner	Structures / Trees if any
				Acres	Hectares		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	66	GD	66/2	0.46	0.19	Masjid Service	Paddy cultivation
2	77	GD	77/1	0.59	0.2385	Masjid Service	Paddy cultivation

3	65	GP	65/2	0.44	0.18	Sc Railway	
4	67	GP	67/2	0.72	0.29	Bandi Dari	
5	69	GP	69/2	0.12	0.05	Bandi Dari	
6	84	GP	84/2	0.445	0.18	Sc Railway	
7	85	GP	85/2	1.10	0.4450	Sc Railway	
8	88	GP	88/2	1.82	0.7365	Sc Railway	
9	89	GP	89/2	0.10	0.04	Jagamanduru Kaluva	
10	92	GP	92/1	0.16	0.06	Jagamanduru Kaluva	
Dry Land				1.05	0.425		
Govt Land				4.905	1.984		
Total				5.955	2.409		

Village: Elaprolu		Mandal: Ibrahimpatnam			District: NTR		
SCHEDULE							
S.No	Survey No.	Classification of the Land (Govt/Pvt)	Survey Number as per SDR	Area under Acquisition		Name of the Land Owner	Structures / Trees if any
				Acres	Hectares		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	229/2	GD	229/2B	0.01	0.004	Kolli Mallikharjuna Subbarao S/o Moorthaiah	Nil
	229/2 notional subdivision as 229/2-A						
	229/2	GD		0.01	0.004	On ground road	Nil
2	229/4	GD	229/4B	0.045	0.018	Houses and House sites	Bathroom of residential house – 2, 3 – Guava

							Tress, 1 – Water Apple Trees, 8 – Banana Trees
				0.010	0.004	On ground road	Nil
3	246/5	GD	246/5A	0.26	0.105	Houses and House sites	Nil
				0.22	0.089	On ground road	Nil
Total				0.555	0.224		

[F. No. RSP/Gazette/20E/LC.No.147/KI-BZA/BZA]

MANOJ KUMAR, CE/C/RSP